फर्द अहकाम

दीपा देवी बनाम ... .

वाद

नाम न्यायालय

केस संख्या 334/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/10/18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारगण उपस्थित। वादी के अधिवक्ता ने वादी को विड्रा करने बाबत सहमति प्रदान की गई तथा पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति 13/8/18 को क्षेत्राधिकार में नहीं होने से स्वीकार किया जाता है। सं 01 तथा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) CPC दिनांक 20/8/18 को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा Not Press कर स्वीकार करने का निवेदन किया जिस पर उभय पक्षों को सुना गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। लिहाजा प्रा. पत्र O1 R10 (2) CPC को Not Press से स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रकरण में वादिया द्वारा मुताबिक प्रा. पत्र ... कमिश्नर महोदय जयपुर के न्यायालय में उनकी जमीन ... व अन्य प्रा. पत्र संख्या 16 ... /2018 को वादिया द्वारा दिनांक .../3/18 को विड्रा के आधार पर स्वीकार किया जा चुका है। जिसकी प्रमाणित प्रति ... पत्रावली पर है।	Not Press No objection ...

उप खण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

नीमा देवी बनाम ग्रामीण व अन्य

ग्राम न्यायालय

केस संख्या 334/2014 वाद

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		वादीया के द्वारा पूर्व में दिनांक 13/8/18 को एक प्रार्थना-पत्र बाबत वाद विड्रा किये जाने का पेश किया था। जिस पर उभयपक्षों को सुना गया। वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कोई एतराज नहीं किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर ध्यान ध्यान पूर्वक मनन किया गया। वादीया का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13/8/18 बाबत वाद विड्रा करना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीया का वाद विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला सुनाकर होकर दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी चौमू जिला-जयपुर	

Scanned by CamScanner